कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय, मध्य प्रदेश ग्वालियर

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय म.प्र. ग्वालियर के कार्यालय के अद्यौलिखित कार्यो हेतु सीलबंद कुटेशन आमंत्रित किए जाते है। विवरण निम्नानुसार हैः–

1. निविदा प्रपत्र प्राप्ति दिनांक 27.01.2017 सांय काल 5 बजे तक

2. निविदा खुलने की तिथि दिनांक 30.01.2017 सुबह 11:00 बजे

क्र.	कार्य का नाम	अवधि	धरोहर राशि
1.	कार्यालय के टार्न पेपर की रद्दी	01.02.2017 से 31.01.2018 तक	रू. 40,000/–
2.	कार्यालय के झाडन की रद्दी (पुठ्ठे, ओल्ड रिकॉर्ड के पुराने कागजे, सुतली, अन्य झाडन)	01.02.2017 से 31.01.2018 तक	रू. 20,000/–

धरोहर राशि भुगतान एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश ग्वालियर के पक्ष में देय एफ.डी.आर. के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

निविदा प्रपत्र उपमहालेखाकार (प्रशासन एवं पेंशन) के पते पर प्रेषित किये जावेंगे।

निविदा से संबंधित समस्त जानकारी सहायक लेखा अधिकारी/सामान्य अनुभाग–द्वितीय के कक्ष से दिनांक 09.01.2017 से 25.01.2017 प्रातः 11:00 बजे से सांय काल 4:00 बजे तक कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

आज्ञा से

उपमहालेखाकार (प्रशासन एवं पेंशन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय

लेखा भवन, झांसी रोड़, ग्वालियर (म.प्र.)

निविदा की शर्ते

1. इस निविदा की कार्य अवधि दिनांक 01.02.2017 से 31.01.2018 तक प्रभावी रहेगी ।

2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय मध्य प्रदेश ग्वालियर के ''लेखा भवन'' झांसी रोड स्थित कार्यालय में दिनांक 31.01.2018 तक समय–समय पर टार्न कागज/झाडन की रद्दी अधोलिखित पदों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन हटाना होगा।

3. प्रत्येक परेषण (कन्साइनमेन्ट) की कीमत की पूरी राशि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय मध्य प्रदेश ग्वालियर कार्यालय के भुगतान एवं लेखा अधिकारी के नाम भुगतान आदेश (पे–ऑर्डर)/नगद के रूप में अग्रिम भुगतान करने के पश्चात ही टार्न/झाडन कागज रद्दी के प्रत्येक परेषण को हटाया जाना अनुमत्य होगा। कोई भुगतान चैक या बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार नहीं होगा। नगद/भुगतान/आदेश (पे–ऑर्डर) प्राप्त करने हेतु सभी बैंक शुल्क ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जावेगा।

4. टार्न/झाडन की रद्दी आदि को बांधने के लिये आवश्यक उपकरण जैसे समान आकार के बोरों की पर्याप्त संख्या सुतली तथा अन्य आधीन मजदूर इत्यादि का प्रबंध स्वयं ठेकेदार को ही करना होगा। असमान्य आकार के बोरों में रद्दी भरने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। अभिलेख को चार टुकडों में फडाई और बंधाई ठेकेदार द्वारा लगाये गये मजदूरों द्वारा ठेकेदार की लागत पर किया जावेगा। बोरों में रद्दी भरवाने ट्रक में लोडिंग, अनलोडिंग कराने की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। तथा उस पर होने वाला सभी खर्चा ठेकेदार को करना होगा। ठेकेदार सभी पुराने कागजों के संचय को उठायेगा तथा इसके किसी भी अंश को पूरा कूडा–कचरा कहकर अस्वीकृत नहीं करेगा पुराने फाइलों में पाये जाने वाले फाइल बोर्ड कवर कपडा फाइलों जिल्दबन्द, किताबों में से सावधानीपूर्वक निकालकर इस कार्यालय के अभिलेख अनुभाग के अनुभाग अधिकारी को अच्छी हालत में सुपुर्द करना होगा। यह कार्य ठेकेदार स्वयं के व्यय पर करेगा।

5. ठेकेदार को स्वयं की लागत पर टार्न कागज/झाडन की रद्दी को धर्मकांटे पर तुलवाने हेतु ले जाने के लिये मिनी ट्रक (टाटा 407 अथवा उसके समकक्ष) उपलब्ध कराना होगा और तुलवाने के लिये तुलाई प्रभार एवं मजदूरों की व्यवस्था करनी होगी। खाली तथा रद्दी से भरे वाहनों की तुलवाई का कार्य सामान्य कार्यालयीन समय में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा एतद् हेतु मनोनीत अधिकारियों की उपस्थिति एवं पर्यवेक्षण में एक अथवा आवश्यकता अनुसार एक से अधिक (अधिकतम तीन) पृथक–पृथक धर्मकांटों, जो कि कार्यालय के निकटतम ग्वालियर नगर निगम सीमा में स्थित होंगे पर समिति द्वारा अनुशंसित तीन धर्मकांटो की सूची में से किसी एक धर्मकांटे का चयन किया जावेगा। तौल कराने पर होने वाला व्यय ठेकेदार को वहन करना होगा। धर्मकांटों की तौलों में अंतर होने की स्थिति में खाली तथा भरे वाहनों का इस कार्यालय द्वारा आंकलित वजन ठेकेदार को मान्य करना होगा।

6. ठेकेदार द्वारा दी गयी रद्दी की दरों में खाली बारों का वजन भी शामिल होगा अलग से खाली बोरों का वजन नही लिया जावेगा।

7. ठेकेदार द्वारा करार अनुबंधित होने के दिनांक के तुरन्त बाद ऊपर पैरा (4) में दिये गये अनुसार टार्न कागज/झाड़न की रद्दी उठानी होगी। टार्न कागज की रद्दी उठाने के दौरान निकलने वाली झाडन की रद्दी को झाडन रूम (Dump Room) में एकत्रित करना होगा। निश्चित मात्रा में टार्न कागज/झाड़न की रद्दी एकत्रित होने के उपरांत कार्यालय द्वारा ठेकेदार को रद्दी उठाने तिथि सूचित की जावेगी। तत्पश्चात विनिर्दिष्टि सामग्री को तीन दिन में हटाये जाने में असफल रहने पर प्रतिदिन विलंब दण्ड शुल्क रू. 500/- (रू. पांच सौ केवल) प्रभारित किया जावेगा। यदि प्रभारित दण्ड राशि जमा करने के बावजूद भी 07 दिन तक उक्त सामग्री नहीं उठायी जाती है तो ठेकेदार द्वारा किसी भी कारण से जमा की गई सम्पर्ण राशि (प्रतिभूति राशि सहित) कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय मध्य प्रदेश ग्वालियर जप्त (फोर फीट) कर ली जावेगी।

8. उपरोक्त अवधि में ठेकेदार द्वारा रद्दी ना उठाये जाने की स्थिति में द्वितीय उच्चतम दरों वाले ठेकेदार को ठेका दिया जावेगा एवं इसमें होने वाले नुकसान का भुगतान ठेकेदार की धरोहर राशि से कर लिया जावेगा।

फटे हुए पुराने कागज को हटाने का काम केवल कार्य दिवस में ही प्रातः 10 बजे से सांय 5.30 बजे तक किया जावेगा। ठेकेदार के अनुरोध पर आवश्यकता अनुसार अवकाश के दिनों में भी कार्य करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

9. ठेकेदार द्वारा लगाये गये कामगार संक्रामक ओर स्पर्श बीमारी से मुक्त होना चाहिये अपने कामगारेां के आचरण और व्यवहार के लिये ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। और उनकी गलती या लापरवाही के कारण हुई हानि या टूट-फूट की क्षतिपूर्ति सरकार को ठेकेदार द्वारा करनी होगी। यदि कोई कामगार कार्यालय परिसर में ठेके में असम्मिलित पुराने कागजों को हटाते हुए पाया जायेगा तो महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय मध्य प्रदेश ग्वालियर के विवेकानुसार ठेकेदार पर दण्ड आरोपित किया जावेगा।

10. अवांछनीय प्रतीत होने वाले किसी कामगार के कार्यालय परिसर में प्रवेश को बिना कारण बताये महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय मध्य प्रदेश ग्वालियर निषिद्ध कर सकेंगे।

11. ठेके की किसी भी शर्त को पूरा न करने की स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी भी कारण से जमा की गई सम्पूर्ण राशि को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय मध्य प्रदेश ग्वालियर ठेके का संदर्भ दिये बिना ही राजसात (फोर फीट) करने के लिये अधिकृत होंगे।

12. यदि पुराने कागज आदि के लिये भुगतान में ठेकेदार कोई चूक करेगा या रद्दी आदि को हटाने या उठवाने में चूक करेगा तो महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय मध्य प्रदेश ग्वालियर आगे वर्णित कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होंगे। तथा ठेकेदार को सूचना जारी करने के पश्चात जब भी यह उचित समझे टार्न कागज की रद्दी को पुनः बेच दे ओर पुनः बेचने के कारण होने वाली हानि की वसूली करार को प्रभावित किये बिना ही ठेकेदार से कर सकेंगे अथवा ऐसी चूक को करार का उल्लंघन मानते हुए ठेकेदार को लिखित सूचना देकर ठेके को निरस्त कर सकेंगे और ऐसी स्थिति में उस

दिनांक तक जमा सम्पूर्ण राशि को राजसात (फोरफिट) कर सकेंगे और इसके अतिरिक्त इस ठेके के उल्लंघन के कारण हुई हानि की वसूली कर सकेंगे।

13. ठेकेदार द्वारा नियमानुसार कार्य न करने अथवा अनुबंध में दिये गये समय तक पुराने कागज ना उठाने पर ठेकेदार को असफल घोषित कर ब्लैक लिस्ट करके उसकी जमा प्रतिभूति राशि को मय ब्याज के जप्त (फोरफिट) कर लिया जायेगा।

14. प्रतिभूति जमा के संबंध में सरकार के विरूद्ध कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

15. उप महालेखाकार (प्रशासन एवं पेंशन) द्वारा प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय समय पर प्रसारित अनुपूरक शर्तों एवं नियमों को ठेकेदार द्वारा मान्य करना होगा।

16. इस करार के अंतर्गत उठने वाले समस्त विवाद अंतर तथा प्रश्न या किसी प्रकार से इससे जुडे हुए विषयांतर्गत या संबंधित अधिकार, कर्तव्य, दायित्व और या पक्षकारों के अधीन या इस करार के संबंध में उठाने वाले सभी विवादों को एक मात्र मध्यस्थ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय मध्य प्रदेश ग्वालियर को संदर्भित किये जावेंगे एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

17. यदि किसी समय यह प्रतीत हो तो कि ठेकेदार की ओर से उसके प्रतिनिधि द्वारा (ठेकेदार) की जानकारी में या बिना जानकारी के साथ सरकार के किसी अधिकारी प्रतिनिधियों या एजेन्टों को इस करार के निष्पादन कराने के दौरान कोई रिश्वत दलाली उपहार या पेशगी देने अथवा किये जाने का वादा किया गया हे तो महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय मध्य प्रदेश ग्वालियर ठेकेदार पर आपराधिक दायित्व आरोपित करने के अलावा इस करार को निरस्त कर सकेंगे।

18. ऊपर दी गई शर्तें मुख्यतः संघ सरकार के हित में सरकार की ओर से कार्य करने वाले अधिकारियों ओर कार्यालय के हित में सुरक्षा के लिये है जो सरकार की ओर इनका कडाई से पालन कराते हैं ओर कोई भी अनुग्रह या रियायतें जो सरकार की सूचना बगैर ठेकेदार को दी जा सकती हैं उन समस्त अनाधिकृत अनुग्रह या रियायतों के विरूद्ध सरकार द्वारा उपरोक्त शर्तों के अध्यधीन की जाने वाली कार्यवाही से बचाव के लिये ठेकेदार को किसी चूक अनुग्रह अथवा रियासत की दलील देने का अधिकार नहीं होगा।

19. शासन को देय समस्त करों का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।

20. प्रथम एवं द्वितीय उच्चतम दरों वाले ठेकेदारों की धरोहर राशि कार्यालय में निविदा अवधि तक जमा रहेंगी अन्य की धरोहर राशि वापस कर दी जावेगी।

उप महालेखाकार (प्रशासन/पेंशन)

प्रति,

उपमहालेखाकार
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय
मध्यप्रदेश ग्वालियर

मैं मैसर्स .... उपरोक्त निविदा शर्तो के अनुसार टार्न पेपर की रद्‌दी की दरें रूपये .... प्रति क्विंटल लेने के हेतु प्रस्तुत करता हॅू।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

फर्म की मोहर सहित

प्रति,

उपमहालेखाकार
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय
मध्यप्रदेश ग्वालियर

मैं मैसर्स .... उपरोक्त निविदा शर्तो के अनुसार झाडन की रद्‌दी की दरें रूपये .... प्रति क्विंटल लेने के हेतु प्रस्तुत करता हूॅ।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

फर्म की मोहर सहित